रोगी कल्याण समिति

¤§¤

दिशा-निर्देश

¤¤¤

2018

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक / /2018

क्रमांक एफ 10-5/2018/सत्रह/मेडि-2 :: इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 8-2/2009/सत्रह/मेडि-2, दिनांक 28.10.2010 द्वारा रोगी कल्याण समिति हेतु नियमावली 2010 के तहत संशोधित मार्गदर्शी दिशा-निर्देश जारी किये गये थे ।

2. राज्य शासन द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के चिकित्सालयों के माध्यम से मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1. संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार "रोगी कल्याण समिति दिशा निर्देश 2018" का अनुमोदन किया जाता है ।
2. रोगी कल्याण समिति दिशा-निर्देश के अनुरूप रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की संरचना तथा कार्यकारिणी समिति को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का अनुमोदन किया जाता है ।
3. रोगी कल्याण समिति के दिशा निर्देशों के संबंधों में भविष्य में आवश्यकतानुसार संशोधित निर्देश जारी करने हेतु विभाग को अधिकृत किया जाता है ।
4. रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी समिति में प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित विधायक, सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है ।

3. यह आदेश जारी होने की दिनांक से पूर्व में जारी समस्त निर्देश स्वत: प्रतिसंहृत माने जावेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भागीरथ सुनहरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर.....2/-

क्रमांक एफ 10-5/2018/सत्रह/मेडि-2 भोपाल, दिनांक 29/05/2018

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
2. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सचिव, मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
8. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल (आदेश वेवसाईट पर अपलोड करावें)।
9. मिशन संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
11. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
12. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
14. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश ।
15. प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश।
16. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।
17. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिक्षक, मध्यप्रदेश।
18. समस्त अधिक्षक, विशेष अस्पताल मध्यप्रदेश।
    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
19. आर्डर फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	पृष्ठभूमि	1
2	प्रस्तावना	2
3	परिकल्पना	3
4	उद्देश्य	3
5	स्वास्थ्य संस्थाऐं	3
6	संरचना एवं कार्यप्रणाली	4
7	साधारण सभा	5
8	कार्यकारिणी समिति	6
9	सदस्यता हेतु योग्यता एवं शर्तें	7
10	साधारण सभा के दायित्व	8
11	साधारण सभा के अध्यक्ष के अधिकार	9
12	कार्यकारिणी समिति के दायित्व एवं कार्य	10
13	उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण	16
14	वित्तीय अधिकार	17
15	कोष प्रबंधन एवं लेखा-जोखा 15.1 कोष प्रबंधन 15.1.1 आय पत्रक 15.1.2 व्यय पत्रक 15.2 बैंक खाते का संचालन 15.3 लेखा अनुरक्षण एवं अभिलेखों का रखरखाव 15.4 वित्तीय विवरण 15.5 खर्चों की प्रतिपूर्ति 15.6 अंकेक्षण	18
16	**परिशिष्ट**-1 साधारण सभा की संरचना	24
17	**परिशिष्ट**-2 कार्यकारिणी समिति की संरचना	26
18	**प्रपत्र**-1 साधारण सभा की संरचना	28
19	**प्रपत्र**-2 कार्यकारिणी समिति की संरचना	29
20	**प्रपत्र**-3 आय एवं व्यय की मदवार वार्षिक जानकारी	30
21	**प्रपत्र**-4 मानव संसाधन की जानकारी	33
22	**प्रपत्र**-5 लीज/किराये से आय एवं लंबित राशि	34
23	**प्रपत्र**-6 निर्माण कार्य, मरम्मत एवं रखरखाव की जानकारी	35

रोगी कल्याण समिति

1. पृष्ठभूमि:

देश में सर्वप्रथम जनसहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की पहल अक्टूबर 1994 में एम.व्हाय. अस्पताल, इंदौर से की गई थी तथा इसी उद्देश्य से रोगी कल्याण समिति गठित कर उसके माध्यम से धनराशि एकत्र की गई थी। रोगी कल्याण समिति को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से फरवरी 1995 में प्रारंभिक तौर पर अस्पताल द्वारा दी जा रही कुछ सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित किये गये थे, इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए अप्रैल 1995 में राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्वरूप देने का निर्णय लिया गया है। एम.व्हाय.अस्पताल, इंदौर में रोगी कल्याण समिति के रूप में किये गये अभिनव प्रयास की सफलता से प्रेरित होकर प्रदेश के अन्य जिलों में भी रोगी कल्याण समिति का गठन कर अस्पतालों में दी जा रही सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रांरभ की गई।

राज्य शासन द्वारा सितम्बर 1995 में प्रदेश के सभी जिलों में रोगी कल्याण समितियों के गठन एवं सुचारू संचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये थे किन्तु इसमें कुछ व्यवहारिक बाधायें सामने आई जिन्हें दूर करते हुए 8 दिसम्बर 1999 को रोगी कल्याण समिति की नियमावली और अस्पताल परिसर का प्रयोजन हेतु उपयोग/विकास करने के संबंध में मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये थे। तत्पश्चात दिनॉक 26 फरवरी 2000 एवं 5 दिसम्बर 2000 को इसमें आंशिक संशोधन किये गये। रोगी कल्याण समितियों को अधिक उपयोगी एवं समसामयिक आवश्यकता के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से इनकी नियमावली एवं संचालन प्रक्रिया में पुनः दिनॉक 28 अक्टूबर 2010 को संशोधन करते हुए नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये जो वर्तमान में प्रभावी है।

प्रदेश के इस नवाचार को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया तथा राष्ट्रीय स्तर पर इस मॉडल को अपनाते हुए अन्य राज्यों मे भी रोगी कल्याण समितियां गठित की गई है। जनभागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में किये गये नवाचार के लिये रोगी कल्याण समिति को टोकियो में 13 फरवरी 2000 को बेस्ट इनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत **ग्लोबल डेवलपमेंट अवार्ड** के लिये चुना गया था तथा इसके लिये 1,25,000 यू.एस.डॉलर का पुरुस्कार प्रदान किया गया।

2. प्रस्तावना

रोगी कल्याण समिति एक प्रबंधकीय संरचना है। स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रोगी कल्याण समिति के प्रबंधन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। रोगी कल्याण समितियों में विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी गण एवं जन प्रतिनिधि, दानदाता और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता सदस्य होते हैं। रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से अस्पतालों के प्रबंधन में जनभागीदारी सुनिश्चित होने से अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने एवं मरीजों के लिये अधिक से अधिक सुविधाऐं उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये है।

रोगी कल्याण समितियां अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वतः राशि की व्यवस्था करती हैं एवं प्रबंधन समिति मे लिये गये निणयों के अनुरूप गतिविधियों को संपादित करने में राशि का उपयोग करती हैं। रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से अस्पताल परिसर के विकास, साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल प्रबंध, मरीज के परिजनों के लिये प्रतिक्षालय निर्माण, उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, नवीन उपकरणों एवं सामग्री का क्रय, औषधियों का क्रय, मानव संसाधन की उपलब्धता, रोगी वाहन की सुविधा, मरीजों एवं परिजनों के लिये भोजन की व्यवस्था आदि की जाती है, इसके अलावा कतिपय जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस सुविधा एवं सीटी स्केन जैसी आधुनिक चिकित्सा सेवाऐं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रदेश के चिकित्सालयों में पूर्व में केवल गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाता था तथा अन्य श्रेणी के मरीजों से प्रदाय सुविधा के एवज में उपभोक्ता शुल्क की राशि ली जाती थी। विगत कुछ वर्षों से राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरुप प्रदेश के चिकित्सालयों में आने वाले सभी श्रेणी के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है साथ ही आवश्यक सभी औषधियां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

मरीजों से लिये जाने वाला उपभोक्ता शुल्क रोगी कल्याण समितियों की आय का मुख्य स्त्रोत हुआ करता था किंतु अब इन समितियों की आय अत्यंत सिमित हो गई है। इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा अस्पतालों की रिक्त भूमि/परिसर का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य किये जाने पर रोक लगाने के कारण भी रोगी कल्याण समितियों की आय में कमी आई है। वर्तमान में रोगी कल्याण समितियों की आय का मुख्य स्त्रोत दानदाताओं से प्राप्त राशि तथा अस्पतालों में लिये जाने वाले ओपीडी शुल्क है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अस्पतालों को अनाबद्ध राशि भी अस्पताल के रखरखाव हेतु उपलब्ध कराई जाती है।

3. परिकल्पना:

स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता प्रदाय करने हेतु, स्वास्थ्य संस्थाओं संसाधनों की कमी तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश में रोगी कल्याण समिति की परिकल्पना की गई थी।

4. उद्देश्य:

रोगियों के कल्याण एवं चिकित्सालयों में सुविधाओं की सतत् वृद्धि के उददेश्य से रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। रोगी कल्याण समिति के गठन का मुख्य उददे्श्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाय व्यवस्था को पारदर्शी एवं सेवाओं के बेहतर बनाने हेतु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये संस्था प्रबंधन निकाय में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

5. स्वास्थ्य संस्थाऐं:

प्रदेश में वर्तमान स्थिति में विभिन्न स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	स्वास्थ्य संस्था का प्रकार	स्वीकृत संख्या
1.	जिला चिकित्सालय	51
2.	सिविल अस्पताल	67
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	334
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1170

6. संरचना एवं कार्यप्रणाली:

6.1 रोगी कल्याण समिति, मध्यप्रदेश के समिति पंजीयन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत एक पंजीकृत समिति है। प्रदेश के सभी जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगी कल्याण समिति गठित किये जाने का प्रावधान है।

6.2 जिला चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति के गठन का दायित्व सिविल सर्जन सह अस्पताल अधिक्षक का है तथा जिले की अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगी कल्याण समिति के गठन का दायित्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संबंधित विकासखंड के खंड चिकित्सा अधिकारी का है।

6.3 वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोगी कल्याण समितियां गठित है। प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा, जांच एवं औषधि की व्यवस्था है, इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों से यूजर चार्जेस के रूप में होने वाली आय अत्यंत कम है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सामान्यतः ओपीडी की सुविधा ही उपलब्ध होती है तथा ओपीडी में आने वाले अधिकांश मरीज बीपीएल श्रेणी के होते हैं, ऐसी स्थिति में इस मद के तहत भी आय अत्यंत कम है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर अस्पताल परिसर का उपयोग भी वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे दुकानों का निर्माण आदि न के बराबर होने के कारण इस मद के तहत भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर की रोगी कल्याण समितियों की आय लगभग नगण्य है। इस प्रकार वर्तमान परिपेक्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर की रोगी कल्याण समितियों की क्रियाशीलता अत्यंत सीमित होकर रह गई है, अतः अब नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोगी कल्याण समिति का गठन करने के बजाय इनका संचालन विकासखंड मुख्यालय पर स्थित स्वास्थ्य संस्था की रोगी कल्याण समिति के माध्यम से किया जाएगा।

7. साधारण सभा:

रोगी कल्याण समिति के तहत साधारण सभा के गठन का प्रावधान है, साधारण सभा की भूमिका मुख्य रुप से अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने एवं अस्पताल प्रबंधन में सुधार हेतु कार्यकारिणी समिति को सुझाव देना एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है। विभिन्न स्तर की संस्थाओं की रोगी कल्याण समिति में गठित की जाने वाली साधारण सभा की संरचना का विवरण **परिशिष्ट**-1 पर दिया गया है।

7.1 रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाना अनिवार्य है, विशेष परिस्थिति में साधारण सभा के एक तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर अथवा कार्यकारिणी समिति के अनुरोध पर साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकेगी।

7.2 साधारण सभा की बैठक की अनिवार्यरूप से प्रत्येक वर्ष दिनांक *11* ***जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस*** के दिन आयोजित की जाना चाहिए। साधारण सभा की बैठक हेतु नियत तिथि के कम से कम एक सप्ताह पूर्व सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को बैठक की लिखित सूचना एवं कार्य सूची प्रेषित की जाना वांछित है। यदि किसी कारण वश निर्धारित तिथी पर साधारण सभा की बैठक आयोजित करना संभव न हो तो बैठक निर्धारित तिथी से पूर्व अथवा आगामी 15 दिवस में आयोजित की जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7.3 जिला अस्पताल की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रुप में नामांकित सदस्य द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रुप में नामांकित सदस्य द्वारा की जाएगी, प्रत्येक बैठक के लिये नामांकित सदस्य द्वारा भाग लेने के संबंध में पृथक से लिखित सूचना दी जाना अनिवार्य है।

7.4 साधाराण सभा की बैठक में बहुमत के आधार पर निर्णय लिये जाये इसके लिये कोरम पूरा करने के लिये कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। कोरम पूरा नही होने की स्थिति में 30 मिनिट के अंतराल के पश्चात पुन: बैठक आयोजित कर कार्यवाही संपादित की जा सकती है।

8. कार्यकारिणी समिति:

कार्यकारिणी समिति का दायित्व अस्पताल प्रबंधन एवं व्यवस्था से जुड़े दैनदिनी कार्यों का निर्वहन करना एवं अस्पताल प्रबंधन को बेहतर बनाने एवं अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये साधारण सभा की बैठक में पारित प्रस्तावों एवं दिये गये सुझावों के अनुरुप कार्यवाही करना है। इस हेतु आवश्यक होने पर कार्यकारिणी समिति समय समय पर साधारण सभा से मार्गदर्शन भी प्राप्त करेगी। रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी समिति की संरचना का विवरण **परिशिष्ट**-2 पर दिया गया है।

8.1 विभिन्न स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं पर कार्यकारिणी समिति की बैठक निम्नानुसार आयोजित की जाना चाहिए:-

स्वास्थ्य संस्था के तहत गठित रो.क.स.	**कार्यकारिणी समिति की बैठक हेतु समयावधि**
जिला चिकित्सालय	कम से कम 3 माह मे एक बार
सिविल अस्पताल	कम से कम 6 माह मे एक बार
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	

8.2 कार्यकारिणी सभा की बैठक में कोरम पूरा करने के लिये कुल सदस्यों के 1/2 सदस्यों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। कोरम पूरा नही होने की स्थिति में 30 मिनिट के अंतराल के पश्चात पुन: बैठक आयोजित कर कार्यवाही संपादित की जा सकती है।

9. सदस्यता हेतु योग्यता एवं शर्तें:

9.1 रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा/कार्यकारिणी समिति के सदस्य के लिये यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।

9.2 यह भी आवश्यक होगा कि वे कभी भी किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता न हो, बैंक द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो तथा मानसिक रुप से स्वस्थ हो। नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, सभी सदस्यों की सहमति से कार्यकाल और 3 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

9.3 समस्त सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे- नाम, पदनाम, व्यवसाय, पैन कार्ड, आधार नंबर, पता, फोन/मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आदि की जानकारी सूचीबद्ध कर पंजी में संधारित की जाना चाहिए। यदि किसी सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में सदस्य को अपनी नवीन जानकारी सदस्य सचिव को अधिसूचित करना होगा।

9.4 यदि समिति का सदस्य त्यागपत्र देता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, अनैतिक तथा अपराधिक मामलों में लिप्त होता है, दिवालिया घोषित होने पर, किसी ऐसे पद से पदच्युत किये जाने पर जिसके कारण वह पदेन सदस्य था तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

9.5 सदस्य द्वारा त्यागपत्र व्यक्तिशतः सचिव साधारण सभा को प्रस्तुत करना होगा। साधारण सभा के अध्यक्ष की स्वीकृति उपरांत सदस्य का त्यागपत्र स्वीकृत होगा।

9.6 समिति में रिक्त पद की पूर्ति सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी। पद की रिक्तता तथा सदस्य का चयन या नामांकन में अनियमितता/नये सदस्यों का समिति में समावेश की स्थिति में साधारण सभा/ कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अथवा नियम को अमान्य नहीं किया जाएगा।

9.7 साधारण सभा/ कार्यकारिणी समिति के सदस्य को किसी भी प्रकार के परिश्रामिक का अधिकार नहीं होगा, समिति के समस्त पद अवैतनिक होंगे।

10. साधारण सभा के दायित्व:

10.1 साधारण सभा के द्वारा सदस्यता, नामांकन तथा सदस्यों के निष्कासन का अनुमोदन करना।

10.2 आगामी वर्ष की प्रस्तावित कार्ययोजना हेतु सुझाव देना एवं मार्गदर्शी सिद्धांत तय करना।

10.3 साधारण सभा की बैठक में सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाना चाहिऐ:-

10.3.1 विगत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही की जानकारी - **पत्रक**-1

10.3.2 विगत वित्तीय वर्ष के दौरान आय एवं व्यय की मदवार जानकारी - **पत्रक**-2

10.3.3 ऑडिट एवं इससे संबंधित आपत्तियों की जानकारी - **पत्रक**-3

10.3.4 रोगी कल्याण समिति के माध्यम से अस्पताल में कार्यरत मानव संसाधन से संबंधित जानकारी - **पत्रक**-4

10.3.5 अस्पताल परिसर के निर्मित दुकानों लीज पर दिये जाने से आय एवं लंबित भुगतान से संबंधित जानकारी - **पत्रक**-5

10.3.6 राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरुप अस्पताल भवन/परिसर में निर्माण कार्य, मरम्मत एवं रखरखाव तथा जिर्णोधार कराने संबंधी कार्यों की जानकारी - **पत्रक**-6

11. साधारण सभा के अध्यक्ष के अधिकार:

11.1 साधारण सभा की बैठकों का आयोजन निर्धारित समय सीमा के अनुरुप कराना तथा इन बैठकों की अध्यक्षता करना।

11.2 अध्यक्ष स्वयं या अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप से सदस्य सचिव से किसी भी समय साधारण सभा की बैठक आहूत करने हेतु अनुरोध कर सकता है।

11.3 साधारण सभा की बैठक में कार्यकारिणी समिति के द्वारा किये गये कार्यो से अवगत होना तथा इस संबंध में आवश्यकतानुसार निर्देश प्रसारित करना।

11.4 सामान्यतः साधारण सभा की बैठक में सभी विवादित मुददों को मत प्रक्रिया द्वारा हल किया जाना चाहिए। साधारण सभा के प्रत्येक सदस्य को एकमत का अधिकार होगा तथा समान मत संख्या की स्थिति में अध्यक्ष को एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

12. कार्यकारिणी समिति के दायित्व एवं कार्य:

रोगी कल्याण समिति अस्पताल में मरीजों के लिये बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने एवं अस्पताल के प्रबंधन के लिये अधिकृत है। रोगी कल्याण समिति को अस्पताल की सेवाओं की आवश्यकताओं के हिसाब से प्रबंधन व्यवस्था और गतिविधियॉ संचालित करने के लिये स्वतत्रंता दी गई है। रोगी कल्याण समिति के दायित्व एवं कार्य निम्नानुसार है:-

12.1 साधारण सभा की बैठक का आयोजन कम से कम वर्ष में एक बार कराना सुनिश्चित करना।

12.2 राज्य शासन की नीति एवं दिशा निर्देशों एवं साधारण सभा द्वारा दिये गये सुझावों एवं मार्गदर्शन के अनुरुप प्रस्ताव तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

12.3 रोगी कल्याण समिति का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलना एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार समिति का वार्षिक अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करना।

12.4 इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत धारा 12**ए** में रोगी कल्याण समिति का पंजीयन कराना एवं नियमित रुप से आयकर विवरणी जमा कराना।

12.5 अस्पताल में निर्माण कार्य हेतु आवश्यक होने पर आर्किटेक्ट तथा इंजीनियर की व्यवसायिक सेवा लेना एवं इस हेतु उन्हे निर्धारित व्यवसायिक शुल्क का भुगतान करना।

12.6 स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रबंधन को बेहतर बनाने में जन सहयोग एवं स्वयंसेवी संगठनों की मदद लेना तथा संबंधित शासकीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

12.7 राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता को देने के लिये इन योजनाओं का समुचित प्रचार प्रसार कराना जिससे कि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। यह भी सुनिश्चित करना कि आम जनता को सरकारी योजनाओं/स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ बिना किसी परेशानी/बाधा के मिले।

12.8 अस्पताल परिसर में स्वयं सेवी संगठनों की सहायता से कल्याणकारी गतिविधियॉ जैसे मरीज के परिजनों के लिये भोजन की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, परिजनों के ठहरने की व्यवस्था, जन जागरुकता संबंधी गतिविधियां आदि संचालित करना।

12.9 अस्पताल भवन परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाये रखना तथा अंवाछित गतिविधियों पर रोक लगाना, अस्पताल परिसर में आवारा पशुओं को आने से रोकने के उपाय करना एवं परिसर की सुरक्षा हेतु व्यवस्था करना।

12.10 अस्पताल को स्वच्छ बनाये रखने के लिये जागरुकता बढ़ाने के प्रयास करना, जनसहयोग से समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाना एवं **कायाकल्प** अभियान के मापदण्डों के अनुरुप व्यवस्था सुनिश्चित करना।

12.11 अस्पताल परिसर में बगीचा बनाना एवं पौधारोपण कराना। बगीचे के रखरखाव को अशासकीय संस्था अथवा कंपनी के माध्यम से प्रायोजित कराने के प्रयास करना, प्रायोजक का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संस्था/कंपनी द्वारा औषधियों अथवा अस्पताल से संबंधित उत्पाद एवं सेवाओं का विज्ञापन नही कर सकेगी।

12.12 अस्पताल में चूहे एवं दीमक आदि से सुरक्षा हेतु नियमित रुप से पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट कराना।

12.13 अस्पताल की अनुपयोगी अथवा टूटी फूटी सामग्री, निष्क्रिय उपकरण एवं वाहन, अनुपयोगी रिकार्ड आदि को व्यवस्थित तरीके से रखना एवं इसका रिकार्ड संधारित कर नियमानुसार नीलामी अथवा नष्ट करने की कार्यवाही कराना।

12.14 जैव अपशिष्ट, वायु एवं जल प्रदूषण हेतु राज्य प्रदूषण निवारण मंडल से आवश्यक ऑथराईजेशन एवं एक्स-रे, सी.टी. स्केन तथा एम.आर.आई. हेतु ए.ई.आर.बी. से अनुमति हेतु आवेदन कराना एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान कराना।

12.15 मरीजों, दिव्यागों एवं उनके परिजनों की सुविधा की दृष्टि से अस्पताल में साइनेज बोर्ड लगवाना एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं उसके तहत मिलने वाले हितलाभ की जानकारी का प्रदर्शन अस्पताल एवं भीड़ वाले स्थानों पर कराना।

12.16 उपलब्ध संसाधनों के व्यय हेतु प्राथमिकता का निर्धारण कर अस्पताल के लिए आवश्यक उपकरण, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्टेशनरी, औषधियों, पैथॉलॉजिकल रिऐजेंट, किट्स, एक्सरे फिल्म, पलंग, गद्दे, चादर, तकियें, कंबल, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक अस्पताल कंज्युमेबल सामग्री भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय समिति की अनुशंसा के अनुरुप क्रय करना अथवा किराये पर लेना।

12.17 आउट सोर्स ऐजेंसी के माध्यम से चिकित्सा सेवाऐं जैसे अस्पताल के रिक्त पदों के विरुद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाऐं कार्य के आधार पर लेना, आवश्यकतानुसार

12.18 मशीनों एवं उपरिणों को किराये पर लेना, आउटसोर्सिंग के माध्यम से पैथालॉजी एवं रेडियो इमेजिंग सेवाऐं उपलब्ध कराना तथा जन सुविधायें जैसे लांड्री, भोजन, केंटीन, पेयजल, साफ-सफाई, सुरक्षा, पार्किंग, सी.सी.टी.वी. कैमरे, इंटरकॉम आदि की व्यवस्था करना एवं आवश्यकतानुसार अनुबंध संपादित करना।

12.19 विशेष प्रकार की जांच एवं उपचार जैसे सोनोग्राफी, सी.टी. स्केन, एम.आर.आई, डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्युजन एवं अन्य सुपर स्पेशिएलिटी सेवाऐं तथा एंबुलेस सुविधा हेतु यूजर चार्जेस का निर्धारण करना । बी.पी.एल. श्रेणी के मरीजों को उक्त सेवाऐं निःशुल्क उपलब्ध कराना तथा इस हेतु निर्धारित शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य मद/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त करना ।

12.20 अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता जैसे अस्पताल में स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था, जैव अपशिष्ट प्रबंधन, मरीज के परिजनों के लिये विश्रामालय एवं ठहरने की व्यवस्था, धूप-पानी से बचाव के लिये शेड निर्माण, मरीजों के लिये भोजन, लांड्री सुविधा, केंटीन, औषधियों की उपलब्धता, निशुल्क जांच की व्यवस्था, रोगी वाहन की उपलब्धता, चिकित्सको के लिये ड्युटी वाहन की व्यवस्था, आकस्मिकता की स्थिति में रक्त की उपलब्धता, मरीजों की शिकायतों का निवारण आदि सुनिश्चित करना तथा समय समय पर इसमें गुणात्मक सुधार करना।

12.21 आकस्मिक परिस्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, महामारी आदि से निपटने के लिये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना, चिकित्सको की व्यवस्था करना, औषधी एवं सामग्री की व्यवस्था करना, पीड़ितों को तत्काल एम्बुलेंस सुविधा एवं प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, गंभीर मरीजों को नजदीकी शासकीय/निजी अस्पताल रेफर कर उपचार की व्यवस्था कराना।

12.22 रोगी कल्याण समिति की आय बढ़ाने के प्रयास करना जिससे कि अस्पताल की सामान्य व्यवस्थाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस हेतु बाह्य रोगियों, अंतः रोगियों एवं प्रायवेट रुम में भरती मरीजों के लिये पंजीयन शुल्क एवं अस्पताल में उपलब्ध अन्य सेवाओं एवं जन सुविधाओं के लिये उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण करना।

12.23 जन भागीदारी योजना एवं सी.एस.आर. के तहत योजना बना कर अस्पताल में सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिये प्रयास करना।

12.24 अस्पताल में चिकित्सकीय सेवाओं के विस्तार/सुदृणीकरण हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री का क्रय करना अथवा दान स्वीकार करना साथ ही कैशलेस तरीको से दान प्राप्त करने को बढ़ावा देने के उपाय करना।

12.25 अस्पताल प्रबंधन एवं व्यवस्थओं में निरंतर सुधार के प्रयास करना जिसके लिये समय समय पर मरीजों से अस्पताल की व्यवस्था, औषधियों की उपलब्धता, पैथॅलाजी एवं रेडियोलॉजी जांच, चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ का व्यवहार, भोजन की गुणवत्ता, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं इनके तहत मिलने वाले लाभ, अस्पताल स्टॉफ द्वारा सेवा/सुविधा के बदले पैसे लेने की शिकायत, सेवा से संतुष्टी आदि के संबंध में फीडबेक लेना एवं उसके अनुरुप सुधारात्मक कार्यवाही करना।

12.26 स्वास्थ्य संस्था के सुचारु संचालन एवं बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर्मचारियों एवं तकनीकी मानव संसाधन की सेवाऐं कार्य के आधार पर सीधे अथवा आउटसोर्स ऐजेंसी के माध्यम से लेना।

12.27 अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं दक्षता वृद्धि के लिये समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं आवश्यक होने पर इन्हे प्रायोजित करना।

12.28 संस्था में पदस्थ चिकित्सको, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टॉफ एवं अन्य कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु निरंतर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरुस्कार प्रदान करना।

12.29 अस्पताल में चिकित्सकों, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ की निर्धारित समय पर उपस्थिति तथा उन्हे दिये गये दायित्वों का निर्वहन पूर्ण लगन एवं निष्ठा से किया जाना सुनिश्चित कराना, सेवा में कमी अथवा शासन निर्देशों का पालन नही करने के लिये अर्थ-दण्ड लगाना।

12.30 आम जनता को लोक सेवा गारंटी के तहत सम्मिलित सेवाओं की प्रदायगी निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित कराना।

12.31 अस्पताल में डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (डी.एन.बी.)/सी.पी.एस., मुंबई के माध्यम से पी.जी. डिपलोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु संबद्धता प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना, छात्रों के लिये अध्ययन शुल्क का निर्धारण करना एवं उन्हे स्टापंड प्रदान करना।

12.32 अस्पताल मे उपलब्ध सभी प्रकार के उपकरणों का मरीजों को पूरा लाभ मिल सके इसके लिये उपकरणों का समुचित रखरखाव एवं मरम्मत कराना एवं आवश्यक होने

पर इस हेतु आउट सोर्स ऐजेंसी के माध्यम से सेवा प्रदायगी हेतु ऐजेंसी का चयन कर वार्षिक अनुबंध करना।

12.33 अस्पताल की अनुपयोगी सामग्री एवं उपकरणों को राज्य शासन के नियमानुसार निष्क्रिय घोषित कर नीलामी की कार्यवाही कराना।

12.34 कार्य ऐजेंसी के रुप में अस्पताल भवन में आश्यकतानुसार लघु मूल निर्माण कार्य भवन की मरम्मत, रखरखाव एवं रंगरोगन के रुपये पांच लाख तक के कार्य उपयंत्री के प्रस्ताव/मूल्याकंन के आधार पर कराना, उक्त सीमा तक के कार्यों के लिये तकनीकी स्वीकृति लेना आवश्यक नही होगा।

12.35 अस्पताल भवन में किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण कार्य कराने से पूर्व साईट प्लान के साथ विस्तृत प्रस्ताव पर संचालनालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

12.36 अस्पताल भवन में आग से सुरक्षा के लिये निधारित मानकों के अनुरुप व्यवस्था निर्माण करना एवं समय समय पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराना सुनिश्चित करना।

12.37 अस्पताल परिसर की रिक्त भूमि/भवन का उपयोग किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सकीय/व्यवसायिक प्रायोजन हेतु किये जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पूर्व से निर्मित रिक्त दुकानों को अस्पताल से संबंधित कार्य अथवा चिकित्सकीय गतिविधियों के लिये ही उपयोग की अनुमति होगी।

12.38 अस्पताल परिसर में निर्मित दुकानें जिन्हे पूर्व से लीज/किराये पर दिया गया है, उनकी लीजडीड का संपादन विधिक तरीके से संपादित कराना सुनिश्चित करना।

12.39 अनुबंध के अनुरुप दुकानों के मासिक किराये की राशि समय सीमा में जमा कराना सुनिश्चित करना, लंबित भुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही करना एवं विलंब के लिये शास्ती अधिरोपित करना/ब्याज दर निर्धारित करना।

12.40 रोगी कल्याण समिति के लेखों का निर्धारित प्रारुप में संधारण करना, आय-व्यय की वार्षिक बैलेंस-शीट तैयार करना, आवश्यक रिकार्ड एवं रजिस्टर्स में जानकारी का संकलन करना एवं राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरुप चार्टर्ड अकाउंटेंट से अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करना। अंकेक्षण कार्य हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाऐ लेना एवं इस हेतु व्यवसायिक शुल्क का भुगतान करना।

12.41 अस्पताल के विभिन्न विभागों में कार्यसुविधा की दृष्टि से दैनदिनी गतिविधियों एवं आकस्मिकता की स्थिति में व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु संबंधित चिकित्सक/स्टॉफ को प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन करना।

12.42 अस्पताल से संबंधित सेवाओं के संबंध में दायर प्रकरणों, कर्मचारियों के सर्विस से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में विधिक सलाह लेना, अधिवक्ता नियुक्त करना एवं इस हेतु उन्हे व्यवसायिक फीस का भुगतान करना। अस्पताल की सेवाओं एवं गुणवत्ता के संबंध में गलत तथ्यों के आधार पर अस्पताल की छवी खराब करने के मामलों में संबंधित व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध मानहानी का दावा करना अथवा विधिक कार्यवाही करना।

12.43 स्वयं सेवी संस्थाओं/अशासकीय संस्थाओं/कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के रुप में विशेष सेवाओं एवं जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने, निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को इंटर्नशीप/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये अनुबंध संपादित करना।

12.44 राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने पर स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु राशि प्राप्त करना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन करना।

13. उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण:

13.1 रोगी कल्याण समिति को चिकित्सालय में बाह्य एवं आंतरिक मरीजों के पंजीयन, एंबुलेंस सेवा एवं अन्य व्ययसायिक गतिविधियों जैसे पार्किंग, कैंटीन/लांड्री सुविधा आदि हेतु स्थानीय परिस्थितियों के अनुरुप शुल्क निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।

13.2 बी.पी.एल. श्रेणी के मरीजों का पंजीयन निःशुल्क किया जायेगा। अस्पताल में उपलब्ध प्रायवेट रुम के उपयोग के लिये शुल्क का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुरुप करना।

13.3 चिकित्सकीय जांच एवं उपचार जैसे सोनोग्राफी, सी.टी. स्केन, एम.आर.आई, डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्युजन एवं अन्य सुपर स्पेशिएलिटी सेवाऐं तथा एंबुलेस सुविधा आदि के लिये यूजर चार्जेस का निर्धारण करना, यूजर चार्जेस की दरें सी.जी.एच.एस. दरों की सीमा के अंदर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरुप करना।

13.4 उपभोक्ता शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग रोगियों के कल्याण एवं उन्हे बेहतर सुविधाये उपलब्ध कराने के लिये किया जा सकेगा। उपभोक्ता शुल्क से एकत्रित राशि को शासकीय कोष में जमा करने से छूट होगी तथा यह राशि रोगी कल्याण समिति के बैंक खाते में निम्नानुसार निर्धारित समय सीमा में जमा की जाना चाहिए:-

- जिला चिकित्सालय - अधिकतम 3 दिवस के अंदर
- सिविल चिकित्सालय - अधिकतम 5 दिवस के अंदर
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र - अधिकतम 5 दिवस के अंदर
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - अधिकतम 10 दिवस के अंदर

14. वित्तीय अधिकारः

14.1 रोगी कल्याण समिति के तहत कार्यकारिणी सभा के द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों को निम्नानुसार वित्तीय अधिकार प्रदत्त होंगे:-

कार्यकारिणी सभा के पदाधिकारी	**वित्तीय अधिकार**
अध्यक्ष	✓ **जिला अस्पताल** पूर्ण अधिकार ✓ **सिविल अस्पताल/सा.स्वा.के.** रूपये 10.00 लाख तक ✓ **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र** रूपये 2.00 लाख तक
सदस्य सचिव	✓ **जिला अस्पताल** रूपये 10.00 लाख तक ✓ **सिविल अस्पताल/सा.स्वा.के.** रूपये 5.00 लाख तक ✓ **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र** रूपये 1.00 लाख तक

14.2 राज्य शासन द्वारा समय समय पर वित्तीय अधिकारों की समीक्षा कर इन्हे पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

14.3 रोगी कल्याण समिति के तहत अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को प्रदत्त वित्तीय अधिकार से अधिक व्यय होने की स्थिति में कार्यकारिणी समिति से व्यय पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

14.4 राज्य शासन द्वारा मरीजों को प्रदान किये जाने वाले निशुल्क जांच, उपचार एवं औषधियों के अलावा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के लिये उपभोक्ता शुल्क लेने, नगद या सामग्री के रूप में दान प्राप्त करने, सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करने, सी.एस.आर. के तहत कंपनी से सहयोग प्राप्त करने एवं जनभागीदारी के तहत सहायता राशि अथवा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने पर अन्य किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त करने के लिये अधिकृत होगी।

14.5 साधारण सभा की सहमति से कार्य विशेष के लिये रोगी कल्याण समिति राज्य शासन की अनुमति प्राप्त कर वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिये अधिकृत होगी।

15. कोष प्रबंधन तथा लेखा-जोखाः

रोगी कल्याण समिति के कोष प्रबंधन, बैक खाता संचालन एवं लेखों के अकेंक्षण के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था होगीः-

15.1 कोष प्रबंधनः

रोगी कल्याण समिति के तहत प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा संधारण आय एवं व्यय के विभिन्न मदों के मुख्य शीर्ष एवं उपशीर्ष के अनुसार किया जाना चाहिए जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

15.1.1 आय पत्रक

1.0 **उपभोक्ता शुल्क से आय**

- 1.1 बाह्य रोगी पंजीयन
- 1.2 अंतः रोगी पंजीयन
- 1.3 प्रायवेट रुम किराया
- 1.4 ब्लड ट्रांसफ्युजन
- 1.5 विशेष जांच- सोनोग्राफी/सीटी स्केन/डायलिसिस आदि
- 1.6 एम्बुलेंस सेवा शुल्क

2.0 **दानदाताओं से प्राप्त राशि**

- 2.1 नगद दान राशि
- 2.2 सामग्री के रुप में प्राप्त दान (अनुमानित राशि)

3.0 **अनुदान/अनाबद्ध राशि/पुरुस्कार**

- 3.1 राज्य मद से
- 3.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से

4.0 **व्यावसायिक गतिविधिों से**

- 4.1 दुकान किराया/लीज से आय
- 4.2 पार्किंग सुविधा से आय
- 4.3 केंटीन/लांड्री सुविधा आदि

5.0 **निवेश से प्राप्त राशि**

6.0 **निदान तथा उपचार सेवा से आय**

7.0 **अन्य आय**

(निविदा शुल्क, इंटर्नशिप/प्रशिक्षण, दण्ड/शास्ती आदि)

15.1.2 व्यय पत्रक

1.0 **मानव संसाधन पर व्यय***

- 1.1 कर्मचारियों का मानदेय
- 1.2 पुरुस्कार

2.0 **अस्पताल व्यवस्था पर व्यय**

- 2.1 फर्नीचर एवं उपकरण
- 2.2 कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य पेरीफेरल्स
- 2.3 लेखन सामग्री पर व्यय
- 2.4 विद्युत/जल शुल्क
- 2.5 जनरेटर संचालन व्यय/ किराया
- 2.6 रोगी वाहन संचालन व्यय

3.0 **उपकरण, औषधि एवं सामग्री ऊपार्जन पर व्यय**

- 3.1 उपकरण क्रय
- 3.2 औषधि क्रय
- 3.3 एक्सरे फिल्म/रीएजेंट आदि का क्रय
- 3.4 अस्पताल सामग्री - पलंग, गद्दे, लिनन सामग्री एवं कंज्यूमेबल्स

4.0 **रखरखाव और मरम्मत पर व्यय**

- 4.1 वार्षिक रखरखाव अनुबंध पर व्यय
- 4.2 उपकरणों/वाटर फिल्टर आदि के रखरखाव और मरम्मत पर व्यय

5.0 **व्यवसायिक सेवाओं पर व्यय**

- 5.1 साफ-सफाई/सुरक्षा व्यवस्था
- 5.2 किचन संचालन एवं किचन सामग्री का क्रय
- 5.3 लाण्ड्री संचालन/सुविधा
- 5.4 निदान सुविधाए- सोनोग्राफी, सीटी स्केन, डायलिसिस आदि
- 5.5 चार्टड अकाउंटेंट की फीस

6.0 **आई.ई.सी. गतिविधियों पर व्यय**

- 6.1 विज्ञापन और प्रचार प्रसार
- 6.2 मुद्रण कार्य

7.0 **लघु निर्माण कार्य**

7.1 अस्पताल भवन का रखरखाव और मरम्मत

7.2 विद्युत कार्य/ट्रांसफार्मर

7.3 लघु निर्माण कार्य/जीर्णोधार

7.4 अस्पताल भवन का रंग रोगन

7.5 बगीचे का विकास एवं परिसर का रखरखाव

8.0 **वृहद निर्माण कार्य**

8.1 नवीन भवन निर्माण/विस्तार

9.0 **जन भागीदारी**

9.1 सहायता अनुदान

9.2 रोगी वाहन का क्रय

10.0 **विविध/अन्य****

*मानव संसाधन पर पूर्व वित्तीय वर्ष की कुल आय के 30 प्रतिशत की सीमा तक ही व्यय करने की अनुमति होगी।

**विविध/अन्य मद के तहत पूर्व वित्तीय वर्ष की कुल आय के 10 प्रतिशत की सीमा तक ही व्यय करने की अनुमति होगी, इससे अधिक व्यय होने पर कार्यकारिणी समिति से व्यय पूर्व अनुमोदन लिया जाना चाहिए।

15.2 बैंक खाते का संचालन:

बैंक में खाता रोगी कल्याण समिति के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा । जिला अस्पताल एवं सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रोगी कल्याण समिति के बैंक खाते का संचालन संयुक्त रूप से दो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की रोगी कल्याण समिति के बैंक खाते का संचालन अधिकृत एकल हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नानुसार किया जायेगाः-

क्रं.	रोगी कल्याण समिति	बैंक खाते के संचालन हेतु अधिकृत संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता
1.	जिला चिकित्सालय	1. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधिक्षक **एवं** 2. कार्यकारिणी द्वारा अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी अथवा रो.क.स. के नोडल अधिकारी मे से कोई एक।
2.	सिविल अस्पताल/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सिविल चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र **एवं** 2. कार्यकारिणी द्वारा अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी अथवा रो.क.स. के नोडल अधिकारी मे से कोई एक।
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के एकल हस्ताक्षर से

नोटः कार्यकारिणी समिति लिंक अधिकारी को चिन्हित करेगी जो कि किसी भी हस्ताक्षरकर्ता की अनुपस्थिति (अधिकारी के अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर हाने पर) में चैक पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत होंगे। परंतु इस अधिकार का प्रयोग केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये।

15.3 लेखा अनुरक्षण एवं अभिलेखों का रखरखाव:

15.3.1 पंजीयक, समिति एवं संस्थायों के प्रावधानों के अनुरुप रोगी कल्याण समिति की लेखा संबंधी पुस्तिकाओं - कैश बुक, लेजर, बैंक पास बुक, चैक बुक एवं चैक हस्ताक्षर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, बैठक रजिस्टर, सदस्यों के विवरण संबंधी रजिस्टर आदि संधारित किये जाना चाहियें।

15.3.2 लेखों का संधारण दोहरी प्रविष्टि प्रणाली (Double Entry System) पर आधारित कैश बुक में किया जाना चाहियें।

15.3.3 बैंक खातों के लिये एक पृथक कैश बुक संधारित की जाना चाहिये।

15.3.4 आय एवं व्यय के प्रत्येक शीर्ष के लिये पृथक लेखा संधारित किया जाना चाहिये।

15.3.5 संस्था के लेखों का अभिलेख संस्था में ही संधारित किया जाना चाहिये, लेखों को संस्था के बाहर ले जाने की अनुमति नही होगी।

15.4 वित्तीय विवरण:

रोगी कल्याण समिति की प्रत्येक माह के आय व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र में समिति के सदस्य सचिव द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक तैयार कर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना चाहियें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आय व्यय का विवरण संस्थावार संकलित कर त्रैमासिक प्रतिवेदन त्रैमास अंत होने के 15 दिवस में संचालनालय को उपलब्ध करायेंगे।

15.5 खर्चो की पूर्ति:

राज्य बजट अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संचालित कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिये बजट प्राप्ति में विलंब होने की स्थिति में अस्पताल व्यवस्था के प्रतिकूल रुप से प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए तात्कालिक व्यवस्था के रुप में रोगी कल्याण समिति के कोष से उस स्थिति में ही व्यय की जाना चाहिये जब उक्त व्यय की पूर्ति उसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित की जा सकती हो।

15.6 **अंकेक्षण:**

15.6.1 रोगी कल्याण समिति के प्रावधानों के अनुरुप लेखों का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के द्वारा कराया जाना अनिवार्य है।

15.6.2 अंकेक्षण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अनुबंधित चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट को अनुबंधित किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा की संरचना

जिला चिकित्सालय

क्रमांक	पदाधिकारी	पद
1.	जिले के प्रभारी मंत्री	**अध्यक्ष**
2.	लोक सभा सदस्य	सदस्य
3.	महापौर, नगर निगम/ अध्यक्ष जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय	सदस्य
4.	जिले के समस्त विधायक	सदस्य
5.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	सदस्य
6.	जिलाध्यक्ष	सदस्य
7.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
8.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
9.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
10.	संभागीय अभियंता, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल	सदस्य
11.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य
12.	जिला जन संपर्क अधिकारी	सदस्य
13.	अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल ऐसोसिएशन -जिला इकाई	सदस्य
14.	एक दानदाता**	सदस्य
15.	जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित दो गणमान्य नागरिक	सदस्य
16.	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	सदस्य सचिव

* प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रुप में नामांकित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

** न्यूनतम दान राशि रुपये 1.00 लाख होना चाहिए, एक से अधिक दानदाता होने पर सर्वाधिक दान राशि देने वाले दानदाता को सदस्य के रूप में नामांकित किया जायेगा।

रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा की संरचना

<u>सिविल अस्पताल / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र</u>

क्रमांक	पदाधिकारी	पद
1.	क्षेत्रीय विधायक	**अध्यक्ष**
2.	अध्यक्ष, जनपद पंचायत	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
4.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी	सदस्य
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओं) जनपद पंचायत	सदस्य
6.	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7.	महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
8.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
9.	एक दानदाता*	सदस्य
10.	क्षेत्रीय विधायक द्वारा नामांकित दो गणमान्य नागरिक	सदस्य
11.	सिविल अस्पताल के अधीक्षक/ प्रभारी खंड चिकित्सा अधिकारी	सदस्य सचिव

* क्षेत्रीय विधायक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रुप में नामांकित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

** न्यूनतम दान राशि रुपये 50 हजार होना चाहिए, एक से अधिक दानदाता होने पर सर्वाधिक दान राशि देने वाले दानदाता को सदस्य के रूप में नामांकित किया जायेगा।

रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा की संरचना

<u>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र</u>

क्रमांक	पदाधिकारी	पद
1.	अध्यक्ष नगर पंचायत/नगरपालिका/सरपंच	**अध्यक्ष**
2.	जनपद पंचायत स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष	सदस्य
3.	ग्राम पंचायत के दो सदस्य*	सदस्य
4.	एक दानदाता**	सदस्य
5.	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	सदस्य सचिव

* कम से कम एक नगर/ग्राम पंचायत महिला सदस्य होना चाहिए।

**न्यूनतम दान राशि रुपये 25 हजार होना चाहिए, एक से अधिक दानदाता होने पर सर्वाधिक दान राशि देने वाले दानदाता को सदस्य के रूप में नामांकित किया जायेगा।

परिशिष्ट-2

रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी समिति की संरचना

जिला चिकित्सालय

क्रमांक	पदाधिकारी	पद
1.	जिलाध्यक्ष	**अध्यक्ष**
2.	जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय के प्रतिनिधी	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
4.	दो वरिष्ठ चिकित्सक*	सदस्य
5.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
7.	जिला जन संपर्क अधिकारी	सदस्य
8.	एक दानदाता**	सदस्य
9.	जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित एक सदस्य	सदस्य
10.	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक	सदस्य सचिव

* कम से कम एक महिला चिकित्सक होना चाहिए।

** न्यूनतम दान राशि रुपये 1.0 लाख होना चाहिए, एक से अधिक दानदाता होने पर सर्वाधिक दानराशि देने वाले दानदाता को सदस्य के रूप में नामांकित किया जायेगा।

रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी समिति की संरचना
सिविल अस्पताल

क्रमांक	पदाधिकारी	पद
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी	**अध्यक्ष**
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
3.	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग	सदस्य
4.	उप यंत्री, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सदस्य
5.	एक वरिष्ठ चिकित्सक	सदस्य
6.	एक दानदाता**	सदस्य
7.	स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्रिय दो सामाजिक कार्यकर्ता**	सदस्य
8.	अधीक्षक, सिविल अस्पताल	सदस्य सचिव

* कम से कम एक महिला सदस्य होना चाहिए।

**न्यूनतम दान राशि रुपये 50 हजार होना चाहिए, एक से अधिक दानदाता होने पर सर्वाधिक दानराशि देने वाले दानदाता को सदस्य के रूप में नामांकित किया जायेगा।

रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी समिति की संरचना
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

क्रमांक	पदाधिकारी	पद
1.	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	**अध्यक्ष**
2.	उपयंत्री लोक निर्माण विभाग	सदस्य
3.	महिला एवं बाल विकास विभाग पर्यवेक्षक	सदस्य
4.	ग्राम पंचायत के दो सदस्य*	सदस्य
5.	एक दानदाता*	सदस्य
6.	बहु उद्देशीय स्वास्थ्य सुपरवाईजर	सदस्य सचिव

*कम से कम एक महिला सदस्य होना चाहिए।

**न्यूनतम दान राशि रुपये 25 हजार होना चाहिए, एक से अधिक दानदाता होने पर सर्वाधिक दानराशि देने वाले दानदाता को सदस्य के रूप में नामांकित किया जायेगा।

प्रपत्र-1

रोगी कल्याण समिति की

साधारण सभा की पूर्व बैठकों में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन

संस्था का नाम .....

क्रं.	साधारण सभा की बैठक का दिनांक	पारित प्रस्ताव	की गई कार्यवाही का विवरण	यदि कार्यवाही नही की गई है, तो कारण

प्रपत्र-2

रोगी कल्याण समिति

ऑडिट कंडिकाएँ एवं उनके संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन

संस्था का नाम .....

क्रं.	ऑडिट कंडिका क्रमांक/दिनांक	ऑडिट कंडिका का विवरण	की गई कार्यवाही	रिमार्क

प्रपत्र-3

रोगी कल्याण समिति

आय एवं व्यय की मदवार वार्षिक जानकारी का प्रतिवेदन

संस्था का नाम .....

वित्तीय वर्ष – .....

आय पत्रक

क्रं.	**मद**	**राशि (रुपये में)**
1	1.0 **उपभोक्ता शुल्क से आय**	
	1.1 बाह्य रोगी पंजीयन	
	1.2 अंतः रोगी पंजीयन	
	1.3 प्रायवेट रुम किराया	
	1.4 ब्लड ट्रांसफ्युजन	
	1.5 विशेष जांच- सोनोग्राफी/सीटी स्केन/ डायलिसिस आदि	
	1.6 एम्बुलेंस सेवा शुल्क	
2	2.0 **दानदाताओं से प्राप्त राशि**	
	2.1 नगद दान राशि	
	2.2 सामग्री के रुप में प्राप्त दान (अनुमानित राशि)	
3	3.0 **अनुदान/अनाबद्ध राशि/पुरुस्कार**	
	3.1 राज्य मद से	
	3.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से	
4	4.0 **व्यावसायिक गतिविधिों से**	
	4.1 दुकान किराया/लीज से आय	
	4.2 पार्किंग सुविधा से आय	
	4.3 केंटीन/लांड्री सुविधा आदि	
5	5.0 **निवेश से प्राप्त राशि**	
6	6.0 **निदान तथा उपचार सेवा से आय**	
7	7.0 **अन्य आय** (निविदा शुल्क, इंटर्नशिप/प्रशिक्षण, दण्ड/शास्ती आदि)	
योग		

वित्तीय वर्ष – .....

व्यय पत्रक

क्रं.	मद	राशि (रुपये में)
1	1.0 **मानव संसाधन पर व्यय**	
	1.1 कर्मचारियों का मानदेय	
	1.2 पुरुस्कार	
2	2.0 **अस्पताल व्यवस्था पर व्यय**	
	2.1 फर्नीचर एवं उपकरण	
	2.2 कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य पेरीफेरल्स	
	2.3 लेखन सामग्री पर व्यय	
	2.4 विद्युत/जल शुल्क	
	2.5 जनरेटर संचालन व्यय/ किराया	
	2.6 रोगी वाहन संचालन व्यय	
3	3.0 **उपकरण, औषधि एवं समग्री ऊपार्जन पर व्यय**	
	3.1 उपकरण क्रय	
	3.2 औषधि क्रय	
	3.3 एक्सरे फिल्म/रीएजेंट आदि का क्रय	
	3.4 अस्पताल सामग्री - पलंग, गद्दे, लीनन एवं कंज्यूमेबल्स	
4	4.0 **रखरखाव और मरम्मत पर व्यय**	
	4.1 वार्षिक रखरखाव अनुबंध पर व्यय	
	4.2 उपकरणों/वाटर फिल्टर आदि के रखरखाव और मरम्मत	
5	5.0 **व्यवसायिक सेवाओं पर व्यय**	
	5.1 साफ-सफाई/सुरक्षा व्यवस्था	
	5.2 किचन संचालन एवं किचन सामग्री का क्रय	
	5.3 लाण्ड्री संचालन/सुविधा	
	5.4 निदान सुविधाए-सोनोग्राफी, सीटी स्केन, डायलिसिस आदि	
	5.5 चार्टड अकाउंटेंट की फीस	
6	6.0 **आई.ई.सी. गतिविधियों पर व्यय**	
	6.1 विज्ञापन और प्रचार प्रसार	
	6.2 मुद्रण कार्य	
7	7.0 **लघु निर्माण कार्य**	

	7.1 अस्पताल भवन का रखरखाव और मरम्मत	
	7.2 विद्युत कार्य/ट्रांसफार्मर	
	7.3 लघु निर्माण कार्य/जीर्णोधार	
	7.4 अस्पताल भवन का रंग रोगन	
	7.5 बगीचे का विकास एवं परिसर का रखरखाव	
8	8.0 **वृहद निर्माण कार्य**	
	8.1 नवीन भवन निर्माण/विस्तार	
9	9.0 **जन भागीदारी**	
	9.1 सहायता अनुदान	
	9.2 रोगी वाहन का क्रय	
10	10.0 **विविध/अन्य***	
योग		

*मानव संसाधन पर पूर्व वित्तीय वर्ष की कुल आय के 30 प्रतिशत की सीमा तक ही व्यय करने की अनुमति होगी।

**विविध/अन्य मद के तहत पूर्व वित्तीय वर्ष की कुल आय के 10 प्रतिशत की सीमा तक ही व्यय करने की अनुमति होगी इससे अधिक व्यय होने पर कार्यकारिणी समिति से व्यय पूर्व अनुमोदन लिया जाना चाहिए। ।

।

प्रपत्र-4

रोगी कल्याण समिति
मानव संसाधन की जानकारी का प्रतिवेदन
संस्था का नाम .....

क्रं.	**नाम एवं पदनाम*** (पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए)	**नियुक्ति का प्रकार** पूर्णकालीन/ अंशकालीन/ आउट सोर्स/कार्य आधारित	**कब से कार्यरत है**	**मासिक पारिश्रमिक राशि (रु)**	**कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन का दिनांक**

* चिकित्सक/नर्सिंग स्टॉफ/पैरा मेडिकल/लिपिकीय स्टॉफ/कम्प्यूटर आपरेटर/सपोर्ट स्टॉफ/आउटसोर्स ऐजेंसी के माध्यम से

प्रपत्र-5

रोगी कल्याण समिति के माध्यम से
लीज/किराये पर दी गई दुकानों से आय एवं लंबित राशि
स्वास्थ्य संस्था .....

- ✓ निर्मित दुकानों की कुल संख्या –
- ✓ लीज/किराये पर दी गई दुकानों की कुल संख्या -

क्रमांक	लीजकर्ता/किरायेदार का नाम	मासिक लीज रेंट/किराये की दर (रु.)	प्रतिवेदित अवधि में लीजरेंट/किराये से		भुगतान लंबित होने का कारण एवं की गई कार्यवाही का विवरण
			प्राप्त राशि (रु.)	लंबित राशि (रु.)	

प्रपत्र-6

रोगी कल्याण समिति के माध्यम से
किये गये निर्माण कार्य, मरम्मत एवं रखरखाव की जानकारी
स्वास्थ्य संस्था .....

क्रमांक	निर्माण कार्य, मरम्मत एवं रखरखाव का विवरण	कार्यकारिणी समिति से स्वीकृति दिनांक	कार्य पूर्ण होने की दिनांक	अनुमानित व्यय (रु)	वास्तविक व्यय (रु)	रिमार्क